विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 27.10.2016 को ली गई वी.सी. में दिए गए निर्देश

आवास योजनाएं :

1. आवास योजनाओं में पात्र हितग्राहियों की द्वितीय किश्त लंबित नहीं रहे यह सुनिश्चित किया जाए।
2. डिंडोरी एवं गुना जिले में तकनीकी समस्याओं के कारण द्वितीय किश्त जारी नहीं हो पाने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये कि RTGS भुगतान करने हेतु प्रस्ताव पूरी जानकारी के साथ दो दिवस में विकास आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
3. प्रत्येक जिला, नवंबर माह में आवास पूर्ण करने तथा द्वितीय किश्त जारी करने हेतु जिले का लक्ष्य निर्धारित कर गूगलशीट में अपलोड करे।
4. ऐसे घर जो टीनशेड से छत डालकर पूर्ण किये जा चुके हैं, उन्हें पूर्ण माना जाए। निर्माणाधीन आवासों में पक्की छत बनवाई जाए।
5. सीएम आवास योजना में निर्माणाधीन आवासों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें पूर्ण कराएं। आवास पूर्ण हों तो वेबसाइट पर प्रविष्टी की जाए। भौतिक सत्यापन पूर्ण कराकर दिसम्बर माह तक के लिए जिले लक्ष्य स्वनिर्धारित करें। समय–सीमाः 15.11.2016.
6. पीएम आवास योजना में उन्हीं व्यक्तियों का आवास साफ्टवेयर में फोटो अपलोड किया जावे जो आवास हेतु पात्र पाये गए हों। पात्र हितग्राहियों के मोबाईल नं0 एकत्रित करना सुनिश्चित करें।
7. डीआरडीए के संबंध में पृथक से जारी निर्देश बताए गए। पालन किया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन :

1. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों द्वारा निर्मित किये जा रहे शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि की मांग का इन्द्राज साप्ताहिक रोजगार दिवस को ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सुनिश्चित की जाए। हितग्राही द्वारा मांग पत्र/आवेदन की आवश्यकता समाप्त की जाए।
2. टीकमगढ़ जिले द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के लिये अपात्र परिवारों के द्वारा निर्मित किये जा रहे शौचालयों का इन्द्राज एमआईएस में नहीं हो पाने के संबंध में अवगत कराया गया। एसपीओ आगामी वी.सी. के पूर्व निराकरण कराएं।
3. उमरिया जिले के द्वारा पूर्व में किये गये आरटीजीएस रिजेक्ट होने के कारण से लंबित हो रहे भुगतान के संबंध में अगवत कराया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन आगामी वी.सी. के पूर्व निराकरण कराए।

29.10.16

(आर.एस.जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश